

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 01/2009-10

Ram Chandra Gope & Others (Plaintiffs)

V/s

State of Jharkhand, through the Deputy Commissioner, West Singhbhum,
Chaibasa (Defendant)

Sita Gope, Wife of Late Mohan Gope, resident of Bara Jamda, Tola-
Gaugutu, P.S.- Gua, District- West Singhbhum (Proforma-defendant)


आदेश

यह वाद दिनांक- 30.04.2009 को वादी Ram Chandra Gope & 03 Others (Plaintiffs), निवासी मौजा- बड़ा जामदा, टोला- जगुगुट्टू थाना- गुआ, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule में वर्णित भूमि का Declaration of right, title and interest के लिए प्रतिवादी State of Jharkhand, through the Deputy Commissioner, West Singhbhum, Chaibasa (Defendant) and Sita Gope, Wife of Late Mohan Gope, resident of Bara Jamda, Tola- Gaugutu, P.S.- Gua, District- West Singhbhum (Proforma-defendant) के विरुद्ध कोल्हान दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.09.2017 से उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।


अतः उक्त परिस्थिति में उभय पक्ष को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


30.11.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


30.11.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।